न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 65/20 **वर्ष 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00141

बउनवानीः—हरीप्रसाद पुत्र नाहर सिंह मीना,निवासी जस्टाना,उ.मू.दुकानदार ग्राम पंचायत पीपलदा, तहसील बौंली सवाईमाधोपुर

बनाम

जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अभियोग संख्या 33/2020 पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री पुरूषोत्तम गोयल — वकील अपीलान्ट

श्री धर्मचन्द अग्रवाल (प्रवर्तन अधिकारी) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— **दिनांकः— 29.01.2021**

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के अभियोग संख्या 33/2020 मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत पीपलदा मे उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। विपक्षी द्वारा एक नोटिस दिनांक 25.8.2020 कमांक 780 बाबत दुकान परिसर मे मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड नही होने तथा वरवक्त निरीक्षण दुकान बन्द पाया जाना तथा 16 उपभौक्ताओं को 32 किलोग्राम दाल वितरण नही करने के गबन के संबंध मे दिया गया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.9.2020 को जिला रसद कार्यालय में पेश कर दिनांक 19.8.2020 को घरेलू कार्य से बाहर जाना एवं मॉ की बिमारी के कारण दुकान बन्द होने बाबत अवगत कराया गया। प्रवर्तन निरीक्षक कौनसी तारीख को निरीक्षण करने पीपलदा गऐ यह नोटिस मे हवाला नही दिया जबकि दिनांक 19.8.2020 को निरीक्षण करने दुकान पर आये थे तब कोरोना काल चल रहा था इस अवधि मे जो उपभौक्ता मास्क पहनकर आये थे उनको ही राशन सामग्री दी गयी थी बाकी नाराज व्यक्तियो द्वारा ने शिकायत की है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत सरपंच ने प्रार्थी का कार्य संतोषजनक बताया है तथा उन ग्राहको के भी शपथ पत्र पेश कर उन्होने बाद मे दाल प्राप्त कर लेना बताया है इसलिए अपीलान्ट को दोषी करार नही दिया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की सुनवायी हेतु दिनांक 23.9.2020 नियत की गयी थी ओर ग्राहको के शपथ पत्र दिनांक 17.9.2020 को पेश कर दिये थे इसके बाद भी जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी के जवाब पर गोर नही कर जिला रसद अधिकारी द्वारा तथ्यों से परे जाकर एवं बिना किसी विस्तृत जॉच के काल्पनिक व मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो बेबुनियाद होने [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार रसद द्वारा दौराने [illegible] उचित मूल्य दुकान[illegible] हरीप्रसाद मीना, ग्राम पंचायत पीपलदा तहसील बौंली की शिकायत प्रा[illegible] होने पर उक्त उचित [illegible] दुकानदार की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक बौंली व श्री प्रहलाद मीना प्रवर्तन निरीक्षक बामनवास की टीम से करवायी गयी। दौराने जॉच दुकान बन्द मिली,दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड पर संघारित किया हुआ नही पाया गया इसके अतिरिक्त 16 उपभौक्ताओं के बयान अनुसार 32 किलोग्राम दाल का गबन करना पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय आदेश कमांक अभियोग/771—779 दिनांक 25.8.2020 द्वारा उचित

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उक्त उचित मूल्य दुकान की अस्थायी वितरण व्यवस्था हेतु नजदीकी ग्राम पंचायत के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामोतार मीना जस्टाना को अधिकृत किया गया तथा पीओएस मशीन एवं अवशेष स्टॉक का हस्तानान्तरण कराने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक बौंली को आदेशित किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन मे वर्णित राशन सामग्री का स्टॉक अटैच उचित मूल्य दुकानदार को नही सम्भलाया गया। स्टॉक हस्तानान्तरण बाबत तीनो अटैचमेंट उ.मू. दुकानदारो द्वारा दिनांक 21.9.2020 को जिला रसद अधिकारी से निवेदन किये जाने पर कार्यालय पत्रांक/रसद/931 दिनांक 24.9.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक को संबंधित अटैच दुकानदारो को स्टॉक सम्भलवाने बाबत लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा कार्यालय मे नोटिस का जवाब दिनांक 23.9.2020 को प्रस्तुत कर घरेलू कार्य से बहार जाना बताया तथा मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड संघारित होना बताया तथा 16 उपभोक्ताओ के 32 किलोग्राम दाल दे देना बताकर उपभौक़्ताअें से वार्ता कर अपने पक्ष में शपथ पत्र बाबत दाल प्राप्त करने के प्रस्तुत किये गये। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के समर्थन मे कोई तर्क संगत साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,9,11,17(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने पर प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/– रू सम्पहरण करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.8.2020 को अपीलान्ट की दुकान की जॉच की जाने पर वरवक्त जॉच दुकान बन्द पायी गयी एवं दुकानदार मौके पर उपस्थित नही मिला, दुकान पर दुकान का नाम, स्टॉक,मुल्य सूचनाओं का प्रदर्शन नही होना तथा 32 किलोग्राम दाल का गबन करना पाया जाने का आरोप लगाते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.9.2020 को निरस्त किया गया है किन्तु तीनो अटेचमेंट उ.मू.दुकानदार जिनको अपीलान्ट द्वारा पीओएस मशीन का स्टॉक नही सम्भलाया गया था जिसके संबंध मे उनके द्वारा दिनांक 21.9.2020 को पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र क्रमश हरिप्रसाद मीना द्वारा पीओएस मशीन संख्या 11235 मे बकाया स्टॉक 25. 91 क्विंटल गेंहूँ, प्रभूलाल मीना द्वारा पीओएस मशीन संख्या 20458 मे बकाया स्टॉक 81 क्विंटल 31.540 किलोग्राम गेंहूँ, दाल–18 किलोंग्राम,चीनी 35.400 किलोग्राम एवं केरोसीन 28 लीटर, तथा रामावतार मीना द्वारा पीओएस मशीन संख्या 11236 मे बकाया स्टॉक 74.23 क्विंटल गेंहूँ,चीनी–55 किलोग्राम, दाल 4.51 क्विंटल जो कि अपीलान्ट द्वारा संबंधित अटेचमेंट उ.मू.दुकानदारों को नही सम्भलायी गयी है का आरोप अपने निर्णय दिनांक 30.9.2021 मे अधिरोपित नही किया है जबकि उक्त संबंध मे पृथक से जॉच एवं सुनवायी का अवसर उक्त तीनो अटेचमेंट दुकानदारों को दिया जाना चाहिए था। दाल प्राप्त हो जाने के संबंध मे उपभौक्ताओं के शपथ पत्र रसद कार्यालय मे कब प्रस्तुत हुए रिकार्ड से स्पष्ट नही है तथा शपथ प्रस्तुत करने वालो को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत अथवा बयान लिये बिना ही रिकार्ड पर कैसे लिया गया है। क्योकि उक्त सभी उपभौक्ताओ को पृथक–पृथक नोटिस जारी कर स्वंतत्र रूप से बयान लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यो को रिकार्ड पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि तीनो अटैचमेंट उ.मू.दुकानदारो की सुनवायी की जाकर पीओएस मशीन मे वर्णित अवेशष स्टॉक संबंधितो को सम्भलावे तथा अबतक स्टॉक नही सम्भलाने पर अपीलान्ट के विरूद्व क्या कार्यवाही की गयी तथा [illegible] पत्र प्रस्तुत करने वाले उपभौक्ताओ के बयान इत्यादि को रिकार्ड पर लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे तथा निर्णय दिनांक तक उक्त अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त [illegible] पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में [illegible]खवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर